कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)
सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड–495001
फोन : 07752–227624, फैक्स : 07752–221385 E-mail : cfbilaspur@rediffmail.com

क्रमांक/तक/ 512 *बिलासपुर/दिनांक* – 18-3-16

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं,
नोडल अधिकारी, व.सं.अ.–1980,
रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 of 28.388 Ha of Forest Land to Construct Railway Line for Spur of East Rail Corridor from Kharsia to Gurda & Ghargoda to Gare Pelm a distance of 38(10+28)km (approx.) in Raigarh District to be used for freight & passanger service-Regarding.**
REGISTRAION NO. : - FP/CG/RAIL/12523/2015

संदर्भ :– आपका ज्ञा.क्रं./विविध/2640 दिनांक 01.10.2015

––00––

विषयांकित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम–1980, के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट के अनुसार, वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ से अनुशंसा उपरांत, संदर्भित ज्ञापन से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उक्त प्राप्त प्रस्ताव का इस कार्यालय के परीक्षण उपरांत, प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1. आवेदनकर्ता मुख्य परिचालन अधिकारी रेलकॉरीडोर रायपुर द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल में 26.520 हेक्ट. की मांग रेल लाईन स्पर निर्माण करने हेतु की गई है।
2. आवेदनकर्ता द्वारा, प्रस्ताव में शासन आदेशानुसार, पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क हेतु 35,000/– रूपये जमा कराये गये है।
3. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.2 से 0.6 तक है एवं इसमें मिश्रित प्रजाति के वृक्ष खड़े है एवं वन की Site Quality - IVA है।
4. व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार :–
   (iii) प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य (रेल लाईन निर्माण) हेतु मांग की जा रही वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भी गैर वन भूमि विकल्प के रूप में उपलब्ध नही है।
   (iv) व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।
5. प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के बदले में महासमुंद वनमण्डल में चयनित बिगड़े वन/नारंगी दुगने वनक्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है।
6. वैकल्पिक वृक्षारोपण महासमुंद वनमण्डल मे चयनित बिगड़े वन/नारंगी वन भूमि की वृक्षारोपण हेतु उपयुक्ता का वनमण्डलाधिकारी महासमुंद का प्रमाण पत्र एवं साथ ही इस बिगड़े

वन/नारंगी वन भूमि पर स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना रूपये 4,96,052/– प्रति हेक्टेयर की दर से तैयार कर संलग्न है।

7. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास कोई ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मुर्ति न होने संबंधी वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

8. परियोजना का Cost Benefit Analysis संलग्न है।

9. प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना में आवेदनकर्ता द्वारा संरक्षण अधिनियम, 1980 के नियम 3B का उल्लंघन नहीं किया है।

10. आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (Biosphere Reserve, प्राकृतिक झील/वाटर बॉडी, आदिवासी सैटलमेंट, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत नहीं है। वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

11. आवेदित वन भूमि किसी उद्यान एवं किसी वन्य प्राणी अभ्यारण्य का भाग नहीं है एवं आवेदित वन भूमि की सीमा से 10 वर्ग कि.मी. की परिधि में कोई संरक्षित वन क्षेत्र नहीं है। वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

12. आवेदक द्वारा शासन निर्देशानुसार 26.520 हे. वन भूमि की Site Quality - IVA एवं घनत्व 0.2 से 0.6 तक है। जिसके लिए शासन द्वारा निर्धारित दर से प्रत्याशा मूल्य (NPV) जमा करने हेतु वचन पत्र दिया है।

13. मिश्रित रोपण योजना के क्रियान्वयन हेतु आवेदनकर्ता का वचन पत्र संलग्न है।

14. आवेदित गैर वानिकी परियोजना पर पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की गई है।

15. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र में चिन्हित 02 स्थान तथा आवश्यकतानुसार अन्य स्थानों पर वन्य प्राणी (हाथी) आवागमन हेतु Over pass/Under pass निर्माण किया जाना है।

16. व्यपवर्तित क्षेत्र के समीप वनक्षेत्र में वन्य प्राणी प्रबंधन हेतु योजना तैयार कर क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

अनुशंसित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शिका सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव भारत सरकार से प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– प्रस्ताव 4 प्रतियों में।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

पृ.क्र./तक/ 513 2016/बिलासपुर, दिनांक 18-3-16

प्रतिलिपि :–

1. वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

2. आवेदनकर्ता मुख्य परिचालन अधिकारी रेलकॉरीडोर रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर